शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 अगस्त 2020
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

विद्यालयों में अभिधारकों का दंड के प्रति अभिमत

ऋषिकेश जाटव (शोधार्थी)
डॉ.प्रमिला दुबे (निर्देशक)
अध्यक्ष शिक्षा संकाय
शिक्षा विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

विद्यालयीन वातावरण एवं कक्षा वातावरण को स्वच्छ व अनुशासित बनाये खने के लिये तथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रयोग किया जाता है। जिनके प्रति शिक्षकों का अभिमत जानने का प्रयास किया गया। समस्या शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। दत्त विश्लेषण हेतु प्राविधि के रूप में सारणीयन व प्रतिशतता तकनीक का प्रयोग किया गया। शोध कार्य हेतु न्यादर्श का चयन यादृचिछक विधि से किया, जिसमें 10 महिला व 10 पुरुष शिक्षक सरकारी तथा 10 महिला व 10 पुरुष शिक्षक गैर सरकारी विद्यालयों से कुल 40 का चयन माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में किया गया। यह शोध कार्य जिला करौली तक ही सीमित है। दत्त संकलन हेतु अभिमत प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया। अभिमत प्रश्नावलियों के विश्लेषण से निष्कर्ष में पाया कि शिक्षक (पुरुष व महिला दोनों) विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त बनाये रखने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक परिस्थिति में उचित दण्ड देना उपयुक्त मानते हैं।

प्रस्तावना

विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन बनाये रखने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं दण्ड समय-समय पर देते रहते हैं। दण्ड सकारात्मक हो या नकारात्मक यह शिक्षक की मनोवृति एवं बालक के व्यवहार पर निर्भर है।

वर्तमान में विद्यालयों में विधार्थियों को अनुशासित रखने एवं अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षको द्वारा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रयोग किया जाता है। जिनमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक श्रम एवं आर्थिक दण्ड आदि प्रमुख हैं। प्रायः विद्यालयों में शारीरिक दण्ड का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसकी पुष्टि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित विद्यालयीन दण्ड की घटनाओं, लेख, परिपत्र आदि से होती है। प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता द्वारा विद्यालयीन दण्ड की व्यवस्था को एक शैक्षिक समस्या के रूप में महसूस किया गया एवं समस्या को ध्यान में रखते हुए महिला व पुरुष शिक्षकों का दण्ड के प्रति अभिमत जानने का प्रयास किया है, जिससे दण्ड की आवश्यकता एवं उसके स्वरूप का पता लग सके कि वास्तव में शिक्षण उद्देश्यों पूर्ति एवं विद्यार्थियों के विकास के लिए किस प्रकार का दण्ड देना उचित एवं सहायक है।

समस्या कथन : विद्यालयों में अभिधारकों का दण्ड के प्रति अभिमत

पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या

विद्यालय, वह स्थान है जहाँ शिक्षक-शिक्षार्थी नियमित रूप से निश्चित समय के लिए एकत्रित होकर शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अभिधारकों से तात्पर्य शिक्षक-शिक्षार्थी, अभिभावक एवं संस्था प्रधान है। दण्ड से तात्पर्य विद्यार्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से कष्टप्रद स्थिति में रखना। अभिमत से तात्पर्य अभिधारकों का दण्ड के प्रति सोच-विचार एवं उनका नजरिया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल जिला करौली के माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित रखा है। न्यादर्श में 2 सरकारी विद्यालयों से 10 महिला और 10 पुरुष शिक्षकों का कुल संख्या 40 का चयन किया गया।

शोध उद्देश्य : महिला एवं पुरुष शिक्षकों का दण्ड के प्रति अभिमत का अध्ययन।

परिकल्पना : पुरुष शिक्षकों द्वारा महिला शिक्षकों की तुलना में कठोर दण्ड दिया जाता है।

शोध विधि

प्रविधि एवं उपकरण : शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि, दत्त विश्लेषण हेतु प्रविधि के रूप में सारणीयन तथा प्रतिशत तकनीक तथा उपकरण के रूप में शिक्षकों के लिए स्वनिर्मित अभिमत प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

समस्या का औचित्य एवं महत्व : शोध कार्य शिक्षा अधिस्नातक पाठ्यक्रम की पूर्ति हेतु किया गया है। इस समस्या के सन्दर्भ में अभी तक मेरी जानकारी में शोध कार्य नही हुआ है। इसलिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण कार्य है। यह शोध कार्य शिक्षकों के लिए अपनी शिक्षण प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार एवं दण्ड व्यवस्था के उचित रूप को अपनाने के लिए दिशा प्रदान करेगा।

दत्त संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या : सर्वप्रथम न्यादर्श का चुनाव कर अभिमत प्रश्नावलियाँ दी गई तथा भरी हुई प्रश्नावलियाँ एकत्रित की गयी। प्रश्नावलियों से प्राप्त दत्तों का विश्लेषण समस्या क्षेत्र, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं मानसिक श्रम दण्ड के अनुसार सारणियों में किया गया। साथ में दण्ड के उपक्षेत्रों के प्रति महिला एवं पुरुष शिक्षकों से प्राप्त की। तुलना शिक्षकों के प्रतिशत व मतों की आवृति के अनुसार की गयी है। प्रश्नावलियों में समस्त प्रश्न खुले प्रकार के हैं। इसलिए प्राप्त दत्तों का गुणात्मक विश्लेषण कर संख्यात्मक विश्लेषण एवं विवेचन समस्या क्षेत्र तथा उपक्षेत्र वार किया गया है।

यह विश्लेषण निम्नलिखित है :

शारीरिक दण्ड के प्रति अभिमत : पुरुष शिक्षक सर्वाधिक 55%, आवृति 23 बार, "पिटाई करने" के पक्ष में हैं, वहीं महिला शिक्षक सर्वाधिक 60 % आवृति 19 बार "खड़े रखने" के पक्ष में है।

सामाजिक दण्ड के प्रति अभिमत : पुरुष शिक्षक सर्वाधिक 80% आवृति 46 बार महिला शिक्षक 95% आवृति 70 बार विद्यार्थी के "अभिभावक को सूचित करने" के पक्ष में है।

मनोवैज्ञानिक दण्ड के प्रति अभिमत : महिला व पुरुष शिक्षकों की "डांटने-फटकारने" के प्रति क्रमशः 85% , 85% ने एवं मतावृति 45 व 65 बार दी है।

मानसिक श्रम दण्ड के प्रति अभिमत : पुरुष शिक्षक 60% मतावृति 21 बार व महिला शिक्षक 55% मतावृति 18 बार "पाठ को अधिक बार पढ़वाने" के पक्ष में है, जो सर्वाधिक है।

आर्थिक दण्ड के प्रति अभिमत : "जुर्माना लगाना" के प्रति पुरुष शिक्षक 75% एवं मतावृति 33 बार तथा महिला शिक्षक 80% एवं मतावृति 31 बार पक्ष में है।

परिकल्पना की व्याख्या : पुरुष शिक्षकों द्वारा महिला शिक्षकों की तुलना में कठोर दण्ड दिया जाता है। यह सकारात्मक परिकल्पना है जो कि उक्त अध्ययन द्वरा सही पायी गयी, जिसका सत्यापन निष्कर्ष में प्रस्तुत है।

निष्कर्ष

विद्यालयों में विभिन्न दंडों के प्रयोगों के मत में सभी पुरुष व महिला शिक्षकों की सहमति पायी गयी। शारीरिक दण्ड में पिटाई करने के पक्ष में पुरुष शिक्षक अधिक हैं जो एक कठोर दण्ड की श्रेणी में है, जबकि महिला शिक्षक उन्हें खड़े रखकर दंडित करना चाहती हैं, जो आंशिक शारीरिक दण्ड है। महिला शिक्षक सामाजिक दण्ड के पक्ष में हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक दण्ड के प्रति महिला-पुरुष दोनों की सहमति समान है। मानसिक श्रम एवं आर्थिक दण्ड के प्रति भी महिला एवं पुरुष शिक्षकों की सहमति लगभग समान रूप से है। उक्त अध्ययन में सर्वाधिक दण्ड प्रयोग के प्रति जो सहमति प्राप्त हुई है वह दण्ड का प्रकार है "सामाजिक दण्ड"।

सुझाव

प्रस्तुत शोध केवल एक जिले से संबंधित है। यह शोध कार्य राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत महिला एवं पुरुष शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन है, जबकि अभिभावकों, छात्र-छात्राओं एवं संस्था से जुड़े सभी लोगों का अभिमत जाना जा सकता है। इस शोध कार्य में शहरी एवं ग्रामीण परिदृश्य में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1 भटनागर, आर.पी., अग्रवाल विधा (2005), शैक्षिक प्रशासन, लॉयल बुक डिपो, मेरठ

2 ढौंढियालण एस फाटक (2003), शैक्षिक अनुसंधान का विधि शास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

3 गुप्ता एस.पी. अल्का (2007), सांखिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद

4 नाटानी, पी. नारायण (2000), सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपुर